न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 281/18 निर्णय दिनांक :– 11-5-19

उनवान

1. रामनारायण पुत्र गोपाल जाति ब्राह्मण बारागांव निवासी ग्राम खेडाजगन्नाथपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर।

2. अमित कुमार पुत्र शंकरलाल नाबालिग संरक्षिका रामधनी पत्नी स्व0 शंकरलाल निवासी ग्राम खेडाजगन्नाथपएुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. रामसुख पुत्र नानगराम
2. प्रहलाद पुत्र नानगराम
3. देवाराम पुत्र नानगराम
4. भौरी देवी पत्नी रामस्वरूप
5. केसर पत्नी प्रहलाद
6. प्रभाती पत्नी देवाराम,
7. मुकेश पुत्र रामसुख
8. बाबू पुत्र प्रहलाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:00:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

9. धारासिंह पुत्र देवाराम

10.मानसिंह पुत्र देवाराम

11.नारायण पुत्र जग्गाराम

12. प्रभाती पत्नी नारायण

13. अशोक पुत्र नारायण

14. कालूराम पुत्र नारायण

15. कानाराम पुत्र रामफूल

16. राजा पत्नी कानाराम

17. किशन लाल पुत्र रामफूल

समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम आकोडिया तहसील चाकसू

जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा निषेधाज्ञा अधीन धारा 88

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधिनियम

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:00:05 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की ओर से निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया

आराजी भूमि जिसके खसरा नं० 943 रकबा 0.43 ख0नं० 950 रकबा 0.68 ख0 नं0 953 रकबा 0.01 ख0 नं0 954/2133 रकबा 0.06 ख0 नं0 955 रकबा 0.17 ख0 नं0 957 रकबा 0.04 ख0 न0

उपखण्ड अधिकारी

958/2136 रकबा 0.10 कुल किता 7 कुल रकबा 1.49 जो वाके ग्राम आकोडिया तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित है। उक्त भूमि ही उक्त वाद में वादग्रस्त भूमि है। वादग्रस्त आराजी वादीगण की खातेदारी की भूमि है। जिस पर वादीगण रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज काश्त होकर लगातार शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में ले रहे है। वादीगण सामर्थ्यवान, राजनैतिक पहुँच वाले वादीगण की आराजीयात को उसके हक व हिस्से से जबरन कब्जा करना चाहते हैं जबकि प्रतिवादीगण का वादीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध से प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं कि वह वादीगण अपनी भूमि पर काबिज काश्तकी भूमि किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करें एवं वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की रूकावट ही नही डाले। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई लेना देना नहीं है और वह भू–माफिया लोगों के साथ मिलकर वादीगण को उनकी बेदखल कर कब्जा करना चाहते आये दिन कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करते है ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादीगण दिनांक 25/11/18 को मौके पर एवं वादीगण को उसकी खातेदारी भूमि से जबरन बेदखल करने की धमकी दी तथा वादीगण द्वारा किये जा रहे तारबन्दी एवं चारदीवारी निर्माण कार्य में एवं वादीगण के काश्त करने में बाधा पैदा करने लगे तथा उपयोग उपभोग में बाधा पैदा करने लगे वादीगण से लडाई झगडा करने लगे तो वादीगण ने आसपडौस की की मंदद से उनको रोका परन्तु जाते – जाते धमकी दे गये कि वह दुबारा वापीस आयेगें और जबरन बेदखल करेंगे। प्रतिवादीगण की उक्त धमकी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:00:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

देखते हुए वादीगण के लिए माननीय न्यायालय की शरण में आकर वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान, बाघा उत्पन्न नहीं करे ना हीं वादीगर्ण द्वारा किये जा रहे तारबन्दी एवं चारदीवारी निर्माण कार्य में बाधा पैदा नहीं करें ना ही वादीगण के शान्तिपूर्वक काश्त करने एवं उपयोग उपभोग में कोई बाधा ही उत्पन्न नहीं करें ना ही वादीगण को वादग्रस्त आराजी से जबरन बेदखल नहीं करें ऐसा कार्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करें ना ही किसी ऐजेन्ट सर्वेन्ट इत्यादि से ही करावें। वाद कारण दिनांक 25/11/2018 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को वादग्रस्त आराजी से जबरन बेदखल करने की धमकी दिये जाने से लगातार उत्पन्न होकर जारी है। वाद पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी वर्णित मद सं0 । में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान, बाधा उत्पन्न नहीं करे ना हीं वादीगण द्वारा किये जा रहे तारबन्दी एवं चारदीवारी निर्माण कार्य में बाधा पैदा नहीं करें ना ही वादीगण के शान्तिपूर्वक काश्त करने एवं उपयोग उपभोग में कोई बाधा ही उत्पन्न नहीं करें ना ही वादीगण को वादग्रस्त आराजी से जबरन बेदखल नहीं करें ऐसा कार्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करें ना ही किसी ऐजेन्ट सर्वेन्ट इत्यादि से ही करावें। दावा वकील वादी द्वारा पेश किया गया जो दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:00:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू, (जयपुर)

गया तो प्रतिवादी बावजूद तामील सूचना के हाजीर नही आने पर एक तरफा कार्यवाही दिनांक 27.05.2019 की जाकर साक्ष्य वादी में पत्रावली लगाई गयी तो वकील वादी द्वारा साक्ष्य नही कराने पर साक्ष्य वादी बन्द की जाकर बहस दावा वकील वादी सुनी गयी तो वकील वादी ने दावे का समर्थन करे हुये दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण की खातेदारी की भूमि है जो वादीगण रिकॉर्डेड खातेदारी भूमि पर काबिज काश्त होकर शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में ले रहे है। प्रतिवादीगण सामर्थ्यवान राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है जो वादीगण की आराजी को उसके हक व हिस्से से जबरन कब्जा करना चाहते है जबकि प्रतिवादीगण का वादीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी भूमि से कोई संबंध नही है। प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि पर जबरन कब्जा नही करे न ही उपयोग व उपभोग करने में बाधा उत्पन्न करे। वकील वादी की बहस पर गोर किया व प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत 2071–74 ग्राम आकोडिया के खाता संख्या 246 का एवं पत्रावली का परीक्षण किया गया तो वादग्रस्त भूमि के एक मात्र वादीगण खातेदारी काश्तकार है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई लेना देना नही है। किन्तु प्रतिवादीगण वादीगण को उनकी आराजीयात से जबरन बेदखल कर कब्जा लेना चाहते है व आये दिन कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करते है उन्हे ऐसा करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। इसलिये प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझते है ताकि वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:00:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू, (जयपुर)

उत्पन्न नही करे। दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर नं० 943 रकबा 0.43 ख0नं० 950 रकबा 0.68 ख0 नं0 953 रकबा 0.01 ख0 नं0 954/2133 रकबा 0.06 ख0 नं0 955 रकबा 0.17 ख0 नं0 957 रकबा 0.04 ख0 न0 958/2136 रकबा 0.10 कुल किता 7 कुल रकबा 1.49 जो वाके ग्राम आकोडिया तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित है। में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान बाधा उत्पन्न नही करें ना ही वादीगण द्वारा किये जा रहे तारबंदी एवं चार दीवारी निर्माण कार्य में बाधा पैदा नही करें ना ही वादीगण के शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने में बाधा उत्पन्न नही करे, ना ही वादीगण को वादग्रस्त आराजी से जबरन बेदखल नही करें ऐसा कार्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)
चाकसू

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:00:05 IST
Reason: SelfAttested